[2018] 3 उम. नि. प. 381

देव कन्या तिवारी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

12 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह सिद्ध हो गया हो कि मृतक द्वारा विष खाकर आत्महत्या की गई है और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में गला घोंटकर उसकी हत्या करने का कोई चिह्न मौजूद नहीं पाया गया है, वहां अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता-शशि भूषण तिवारी (अभि. सा. 5) ने तारीख 30 सितंबर, 1995 को पुलिस थाना, करछना, जिला इलाहाबाद में एक शिकायत यह उल्लेख करते हुए दर्ज की कि उसका भाई बृज भूषण तिवारी (मृतक) अपने बालकों की कुशल-क्षेम जानने के लिए तारीख 28 सितंबर, 1995 को अपनी ससुराल गया था और उसका यह विश्वास है कि उसके भाई की उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने हत्या कर दी । मृतक की पत्नी ने भी पुलिस में एक शिकायत दी । अन्वेषक अधिकारी ने साधारण डायरी में आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात् घटनास्थल का दौरा किया और स्थल-नक्शा बनाया तथा साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त संतोष देवी (मृतक की पत्नी) और देव कन्या तिवारी (मृतक की सास और इस अपील में अपीलार्थी) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किए । उन्होंने अपराध कारित करने की बात से इनकार किया और विचारण करने के लिए अनुरोध किया । उन्होंने यह प्रतिरक्षा ली कि मृतक ने विषाक्त गोलियां खाकर आत्महत्या की थी और उन्हें इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि वह संपूर्ण सम्पत्ति को हड़पना चाहता है । तथापि, विचारण के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त संतोष देवी-मृतक की पत्नी की मृत्यु हो गई । विचारण

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त द्वारा मृतक की मृत्यु के लिए दिया गया स्पष्टीकरण मिथ्या है । विचारण न्यायालय ने यह समाधान होने पर कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है, अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया और जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अभियुक्त-अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गई । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश की अभिपुष्टि की और अभियुक्त-अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी । अभियुक्त-अपीलार्थी ने निचले न्यायालयों के विनिश्चय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 1 संतोष कुमार, अभि. सा. 2 लल्लन और अभि. सा. 3 शिव लाल ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया, अपितु विनिर्दिष्ट रूप से अभियुक्त के बयान का समर्थन किया । यह बात महत्वपूर्ण है कि इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया था । अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि डा. हीरा लाल ने उसे यह बताया था कि मृतक ने यह निवेदन किया है कि उसके जीवन को न बचाया जाए क्योंकि वह अपने जीवन से ऊब चुका है और उसने सल्फॉस की गोलियां खा ली हैं । तद्नुसार, पंचनामा स्वीकृत रूप से अभि. सा. 5 की मौजूदगी में तैयार किया गया था और पंचनामा के समय शव पर कोई स्पष्ट क्षति नहीं थी । अभि. सा. 7 राम निवास पांडे ने भी, जिसने पंचनामा भरा था और पंच साक्षियों के हस्ताक्षर कराए थे, यह कथन किया कि मृतक के शरीर पर कोई दृष्टिगोचर क्षति नहीं पाई गई थी और पंच साक्षियों की यह सामुहिक राय थी कि मृतक की मृत्यु कुछ विषैला पदार्थ खाने के कारण हुई है और उसने भी उनसे सहमति जताई थी । मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जब प्रारंभिक तौर पर मृतक की पत्नी द्वारा यह उल्लेख करते हुए दर्ज की गई शिकायत विद्यमान थी कि मृतक ने विष खाकर आत्महत्या की है, तो सामान्यतया यह प्रत्याशा की जाती है कि डाक्टर रासायनिक विश्लेषण के लिए विसरा परिरक्षित रखेगा । इस बिंदु पर अभियोजन पक्ष अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहा है, क्योंकि विसरा परिरक्षित रखने के लिए कोई उपाय नहीं किए थे । अभि. सा. 6 डाक्टर द्वारा किया गया मात्र यह कथन इस मामले के विलक्षण तथ्यों में पर्याप्त नहीं है कि विसरा इसलिए

परिरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि विष की मौजूदगी नहीं थी, विशिष्ट रूप से जब स्वतंत्र पंच साक्षियों ने एक साथ तथा अन्वेषक अधिकारी ने भी अपना यह मत लेखबद्ध किया है कि यह एक विषाक्तिकरण का मामला है और इसका अभि. सा. 1, 2 और 3 द्वारा सम्यक् रूप से समर्थन किया गया है । तथापि, अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए अभिकथन का समर्थन केवल अभि. सा. 5 मृतक के भाई द्वारा किया गया है । यहां तक कि मृतक के पिता (अभि. सा. 4) के साक्ष्य को भी विचार में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि उसे घटना के बारे में जानकारी केवल अभि. सा. 5 के माध्यम से मिली थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के रूप में चिकित्सीय साक्ष्य से हालांकि अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है, किंतु डाक्टर द्वारा विसरा को परिरक्षित न करने की बात अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक हो जाती है । यह उल्लेख करना उपयोगी है कि अभि. सा. 5 ने अपने साक्ष्य में कहीं भी मृतक की गर्दन पर बांधने का चिह्न देखने के बारे में उल्लेख नहीं किया है और न ही पंचनामा के दौरान उसने मृत्यु के कारण की बात उठाई थी । वास्तविकता यह है कि कतिपय पहलुओं पर विचारण न्यायालय ने भी अभि. सा. 5 के वृत्तांत को अविश्वसनीय पाया है । इस न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्ष घटनाओं की उस शृंखला को सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रहा है जो अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हो और निचले न्यायालयों ने विधि के स्थिर सिद्धांतों के अनुसार मामले पर विचार करने में गंभीर गलती की है । न्यायालय का सर्वोपरि ध्यान अवश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि न्याय की हानि न हो । दांडिक न्याय प्रशासन में सर्वाधिक प्रचलित धारणा यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हैं, जिनमें से एक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करता हो और दूसरा अभियुक्त की निर्दोषिता को, तो वह मत जो अभियुक्त के समर्थन में है, उसे ही प्रसामान्यतः अपनाया जाना चाहिए । क्योंकि इस न्यायालय ने पहले ही यह मत व्यक्त किया है कि इस मामले में इस बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि मृतक ने विष खाया था या उसकी गला घोंट कर मृत्यु कारित की गई थी । मृतक के संपूर्ण शरीर पर छालों की मौजूदगी और उसके नाखून नीले हो जाना, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार मृतक के शरीर पर उंगलियों के कोई चिह्न न होना, पंचनामा के समय अभि. सा. 5 का मौजूद रहना और कोई आक्षेप न करना, डा. हीरा लाल की परीक्षा न करना, अधिकांश अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए संपुष्टिकारी कथनों के साथ-साथ

अन्वेषक अधिकारी का कथन, जिसको डा. हीरा लाल ने यह बताया था कि मृतक ने विष खाया है, सभी परिस्थितियां अभियुक्त के इस पक्षकथन को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य का गठन करती हैं कि मृतक ने आत्महत्या की थी । इसलिए इस न्यायालय का यह मत है कि निचले न्यायालयों को अपीलार्थी को संदेह का फायदा देने के लिए प्रेरित होना चाहिए था, क्योंकि इस मामले के विलक्षण तथ्यों में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है । (पैरा 15, 16, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1953] 1953 क्रिमिनल ला जर्नल 129 :
हनुमंत गोविंद नारगुंडकर बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 720.

2014 की दांडिक अपील सं. 2894 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 14 मार्च, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री एस. वसीम ए. कादरी, जुबैर अहदम खान, जैद अली, तमीम कादरी, मुदसीर नबी, सईद कादरी, सय्यद फैजान अली और लक्ष्मी रमन सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री रत्नाकर दास, ज्येष्ठ अधिवक्ता और अरधेंदुमौली कुमार प्रसाद

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

न्या. रमना – विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई यह अपील 2014 की दांडिक अपील सं. 2894 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 14 मार्च, 2016 को पारित किए गए उस निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील को खारिज करते हुए 1997 के सेशन मामला सं. 105 में विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराधों के लिए तारीख 22 जुलाई, 2014 को अधिनिर्णीत उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा ।

2. अभियोजन पक्षकथन से प्रकटित अनुसार इस मामले के तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता-शशि भूषण तिवारी (अभि. सा. 5) ने तारीख 30 सितंबर, 1995 को पुलिस थाना, करछाना, जिला इलाहाबाद में एक शिकायत (उपाबंध पी-2) यह कथन करते हुए दर्ज की कि उसका भाई बृज भूषण तिवारी (मृतक) अपने बालकों की कुशल-क्षेम जानने के लिए तारीख 28 सितंबर, 1995 को अपनी ससुराल गया था और उसका यह विश्वास है कि उसके भाई की उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने हत्या कर दी, इस शिकायत को 1995 के अपराध मामला सं. 177 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । मृतक की पत्नी ने भी पुलिस में एक शिकायत दी । थाना अधिकारी राम निवास पांडे (अभि. सा. 7) ने शव की मृत्यु-समीक्षा की, पंचायतनामा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया और शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा । डा. अशोक कुमार गुप्ता (अभि. सा. 6) ने तारीख 1 अक्तूबर, 1995 को मरणोत्तर परीक्षा की और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नित है । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि मृत्यु गला घोंटने की वजह से श्वासावरोध होने के कारण हुई थी ।

3. अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 8) वीर बहादुर सिंह ने साधारण डायरी में आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात् घटनास्थल का दौरा किया और स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी-5) बनाया, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श पी-6) फाइल किया । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इलाहाबाद ने अपराध का संज्ञान किया और मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायालय के सुर्पुद किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त संतोष देवी (मृतक की पत्नी) और देव कन्या तिवारी (मृतक की सास और इस अपील में अपीलार्थी) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किए । उन्होंने अपराध कारित करने की बात से इनकार किया और विचारण करने के लिए अनुरोध किया । उन्होंने यह प्रतिरक्षा ली कि मृतक ने विषाक्त गोलियां खाकर आत्महत्या की थी और उन्हें इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि वह संपूर्ण सम्पत्ति को हड़पना चाहता है । तथापि, विचारण के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त संतोष देवी मृतक की पत्नी की मृत्यु हो गई ।

4. अभियोजन पक्ष ने विचारण में अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल 8 साक्षियों की परीक्षा की । विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त द्वारा मृतक की मृत्यु के लिए दिया गया स्पष्टीकरण मिथ्या है ।

विचारण न्यायालय ने यह समाधान होने पर कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है, अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास भुगतने तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय करने में असफल रहने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

5. अभियुक्त-अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गई । उच्च न्यायालय ने इस अपील में आक्षेपित निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश की अभिपुष्टि की और अभियुक्त-अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी । अपीलार्थी ने निचले न्यायालयों के विनिश्चय से व्यथित होकर हमारे समक्ष यह अपील फाइल की है ।

6. हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल तथा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल को सुना ।

7. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की विनिर्दिष्ट दलील यह है कि निचले न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश गंभीर कमियों से ग्रस्त है । मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र को असम्यक् महत्व दिया गया है जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी और शरीर पर एक बांधने का निशान पाया गया था । मृतक के अंग संकुचित हो गए थे और संपूर्ण शरीर पर छाले पाए गए थे तथा नाखून नीले हो गए थे, जिससे स्पष्ट रूप से यह प्रतिबिंबित होता है कि यह एक विषाक्तिकरण का मामला था और वस्तुतः मृतक ने विष खाकर आत्महत्या की थी । अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने की दृष्टि से मृतक द्वारा विष खाकर आत्महत्या करने के तथ्य को दरकिनार कर दिया गया और इसीलिए डाक्टरों द्वारा विसरा परिरक्षित नहीं रखा गया था । अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था ।

8. विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि पंचनामा रिपोर्ट अभि. सा. 5 की मौजूदगी में तैयार की गई थी और पंचनामा में शरीर पर कोई बांधने का निशान या क्षतियां होने का उल्लेख नहीं था । पंचनामा तैयार करने के दौरान अभि. सा. 5 द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया गया था । निचले न्यायालयों ने मामले के इन महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए

अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया, जो विधि की गंभीर गलती है और इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्कों का जोरदार रूप से विरोध किया और यह दलील दी कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है और निचले न्यायालयों ने चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार करने में कोई गलती नहीं की है । मृतक की मृत्यु अभियुक्त के मकान में हुई थी जहां उसे अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और घटनाओं की शृंखला को पूर्ण रूप से साबित किया गया है, इसलिए इस अपील को खारिज करने कि ईप्सा की गई ।

10. दोनों पक्षों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमने अभिलेख की सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया है । स्पष्टतः, घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और मामला पूर्णतः पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । ऐसे मामले में, न्यायालय से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह साक्ष्य का विश्लेषण करने और अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में अधिक सावधानी बरते । दूसरे शब्दों में, सभी अधिसंभाव्यताओं में परिस्थितियों की शृंखला से यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध कारित करने में भाग लिया था और अपराध कारित किया था । इस न्यायालय ने बहुत पहले **हनुमंत गोविंद नारगुंडकर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने की रीति को निम्नलिखित शब्दों में निश्चित किया है :–

> "यह स्मरण करना उचित है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य पारिस्थितिक प्रकृति का है, वहां परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे प्रथम बार में पूरी तरह से सिद्ध की जानी चाहिएं और इस प्रकार सिद्ध किए गए सभी तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होने चाहिएं । पुनः, परिस्थितियां एक निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं और वे ऐसी होनी चाहिएं जिससे कि साबित किए जाने के लिए प्रस्थापित परिकल्पना को छोड़ कर प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित किया जा सके । दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए

[1] 1953 क्रिमिनल ला जर्नल 129.

जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे और यह निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जिससे यह दर्शित हो कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यताओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया था ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

11. प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 5 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से पूर्व अन्य अभियुक्त संतोष देवी (जिसकी विचारण के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी) मृतक बृज भूषण तिवारी की पत्नी द्वारा तारीख 30 सितंबर, 1995 को पहले ही एक शिकायत (उपाबंध पी-1) दर्ज कराई गई थी । उस शिकायत के अनुसार, मृतक पूर्ववर्ती दिन खाना खाने के पश्चात् टहलने के लिए बाहर गया था और लगभग 6.00 बजे अपराह्न में लड़खड़ाते, डगमगाते और गिरते-पड़ते हुए वापस आया था । जब मृतक को डा. हीरा लाल (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) के पास ले जाया गया तो उसने डाक्टर को सल्फास की गोलियां खा लेने के बारे में बताया, क्योंकि वह और जीवित रहना नहीं चाहता है और डाक्टर से अनुरोध किया कि उसके जीवन को बचाने के लिए कोई प्रयास न करे । जब वे उसे इलाहाबाद अस्पताल ले जा रहे थे, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 (संतोष कुमार), अभि. सा. 2 (लल्लन) और अभि. सा. 3 (शिव लाल) ने भी अपने अभिसाक्ष्यों में इन तथ्यों की अभिपुष्टि की । अन्वेषक अधिकारी, वीर बहादुर सिंह अभि. सा. 8 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया कि डा. हीरा लाल ने अपने कथन में यह व्यक्त किया था कि मृतक उसे यह कह रहा था कि वह अपने जीवन से ऊब चुका है और इसलिए उसने सल्फास की गोलियां खा ली हैं । उसने (अभि. सा. 8) विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट किया कि पंचनामा के समय शव पर कोई स्पष्ट क्षति नहीं थी । पत्नी की शिकायत को उद्धृत करना सुसंगत होगा, जो निम्नलिखित है :–

"सविनय निवेदन यह है कि आवेदक संतोष देवी, पत्नी बृज भूषण तिवारी हिंदूपुर, पुलिस करछाना की निवासी है । मेरा पति 3/4 दिन पहले मेरे पिता के घर आया था और यहां आराम से रह रहा था । कल लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न में वह खाना खाने के पश्चात् टहलने के लिए बाहर गया था । जब वह लगभग 6.00 बजे मेरे पिता के घर वापस आया तो वह लड़खड़ा और डगमगा रहा था और गिर-पड़ रहा था । इसलिए इन परिस्थितियों में आवेदक, उसकी माता और

गांव के अन्य निवासी किसी-न-किसी तरह से उसे हीरा लाल के क्लिनिक पर लेकर आए । वहां श्री बृज भूषण तिवारी ने स्वयं डाक्टर को बताया कि मैंने बहुत सारी सल्फास की गोलियां खा लीं हैं तथा मैं और जीवित नहीं रहना चाहता हूं और मेरे जीवन को बचाने का कोई प्रयास न किया जाए । उसके पश्चात् जब हम उसे इलाहाबाद अस्पताल ले जा रहे थे, तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई ।

अतः, आवेदक आपको उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित कर रही है ।"

12. उसी दिन अर्थात् तारीख 30 सितंबर, 1995 को अभि. सा. 5 मृतक के भाई ने भी थाना अधिकारी, पुलिस थाना करछाना के समक्ष निम्नलिखित एक शिकायत फाइल की :-

"यह विन्रम निवेदन है कि आवेदक गांव नारी, पुलिस थाना सोरौंव, जिला इलाहाबाद का निवासी है । यहां बेला चौरोहा, पुलिस थाना करछाना में राम सूरत तिवारी का मकान है, जो आवेदक के भाई स्वार्गीय श्री बृज भूषण तिवारी के ससुराल वालों का है । आवेदक का भाई तारीख 28 सितंबर, 1995 को अपने बालकों के बारे में जानने के लिए और उनकी कुशल-क्षेम के बारे में पता करने के लिए अपनी ससुराल गया था । कल तारीख 29 सितंबर, 1995 को रात्रि में 3.00 बजे आवेदक के घर यह सूचना प्राप्त हुई कि बेला चौराहा के कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आवेदक के भाई स्वर्गीय श्री बृज भूषण तिवारी को मार दिया है ।

यह सूचना मिलने के पश्चात् मैं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सीधे पुलिस थाने आया हूं । आवेदक का यह विश्वास है कि आवेदक के भाई को उसके ससुराल वालों ने मारा है ।

तद्द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है । आवश्यक कार्रवाई की जाए ।"

13. पूर्वोल्लिखित दोनों शिकायतों के आधार पर दांडिक विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ की गई । विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से मृतक के भाई (अभि. सा. 5) के साक्ष्य और अभि. सा. 6 डाक्टर अशोक कुमार गुप्ता जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी, की राय का अवलंब लिया । अभि. सा. 5 के अनुसार, जब वह 10.00 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्त के मकान पर पहुंचा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उसके

समक्ष यह संस्वीकृति की कि उन्होंने उसके भाई का गला घोंटने की गलती की है क्योंकि वह अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए अड़ा हुआ था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने उससे पुलिस में शिकायत न करने का भी निवेदन किया और यहां तक कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् भी उन्होंने उससे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वापस ले लेने के लिए अनुरोध किया । चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस परिस्थिति का उल्लेख नहीं था, इसलिए विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की न्यायिकेतर संस्वीकृति के विषय में अभि. सा. 5 के बयान पर विश्वास नहीं किया, तो भी यह मत व्यक्त किया कि पंचनामा मृतक के परिवार के किसी सदस्य के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व तैयार किया गया था और पंचनामा के समय पर उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि पंचनामा तैयार करने के समय और जब शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया था, तब वह वहां मौजूद था । घटना के बारे में उसने यह कथन किया कि उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी अपितु उसे केवल अनुश्रुत बात के आधार पर घटना के बारे में पता चला था ।

14. डा. अशोक कुमार गुप्ता (अभि. सा. 6), जिसने शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृतक के मुंह और नाक से रक्तरंजित तरल निकलता हुआ पाया था, जबकि उसके नाखून नीले रंग के हो गए थे तथा जीभ दांतों के बीच कसी हुई मुंह से बाहर निकली हुई थी । गर्दन के मध्य भाग पर बांधने के चिह्न की 13½ × ½ इंच की मृत्यु-पूर्व की क्षति थी, जबकि समस्त गर्दन पर अनुप्रस्थ रूप से स्थित नील मौजूद था । आंतरिक रूप से, टेंटुए की हड्डी का अस्थिभंग पाया गया था । उसकी राय में, मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध हो जाना था । प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट किया गया कि विष खाने के लक्षण न होने कारण विसरा परिरक्षित नहीं रखा गया था ।

15. विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 1 संतोष कुमार, अभि. सा. 2 लल्लन, अभि. सा. 3 शिव लाल ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया अपितु विनिर्दिष्ट रूप से अभियुक्त के बयान का समर्थन किया । यह बात महत्वपूर्ण है कि इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया था । अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 8 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि डा. हीरा लाल ने उसे यह बताया था कि मृतक ने यह

निवेदन किया है कि उसके जीवन को न बचाया जाए क्योंकि वह अपने जीवन से ऊब चुका है और उसने सल्फास की गोलियां खा ली हैं । तद्नुसार, पंचनामा स्वीकृत रूप से अभि. सा. 5 की मौजूदगी में तैयार किया गया था और पंचनामा के समय शव पर कोई स्पष्ट क्षति नहीं थी । अभि. सा. 7 राम निवास पांडे ने भी, जिसने पंचनामा (प्रदर्श पी 2) भरा था और पंच साक्षियों के हस्ताक्षर कराए थे, यह कथन किया कि मृतक के शरीर पर कोई दृष्टिगोचर क्षति नहीं पाई गई थी और पंच साक्षियों की यह सामूहिक राय थी कि मृतक की मृत्यु कुछ विषैला पदार्थ खाने के कारण हुई है और उसने भी उनसे सहमति जताई थी ।

16. मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जब प्रारंभिक तौर पर मृतक की पत्नी द्वारा यह उल्लेख करते हुए दर्ज की गई शिकायत विद्यमान थी कि मृतक ने विष खाकर आत्महत्या की है, तो सामान्यतया यह प्रत्याशा की जाती है कि डाक्टर रासायनिक विश्लेषण के लिए विसरा परिरक्षित रखेगा । इस बिंदु पर अभियोजन पक्ष अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहा है क्योंकि विसरा परिरक्षित रखने के लिए कोई उपाय नहीं किए थे । अभि. सा. 6 डाक्टर द्वारा किया गया मात्र यह कथन इस मामले के विलक्षण तथ्यों में पर्याप्त नहीं है कि विसरा इसलिए परिरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि विष की मौजूदगी नहीं थी, विशिष्ट रूप से जब स्वतंत्र पंच साक्षियों ने एक साथ तथा अन्वेषक अधिकारी ने भी अपना यह मत लेखबद्ध किया है कि यह एक विषाक्तिकरण का मामला है और इसका अभि. सा. 1, 2 और 3 द्वारा सम्यक् रूप से समर्थन किया गया है ।

17. तथापि, अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए अभिकथन का समर्थन केवल अभि. सा. 5 मृतक के भाई द्वारा किया गया है । यहां तक कि मृतक के पिता (अभि. सा. 4) के साक्ष्य को भी विचार में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि उसे घटना के बारे में जानकारी केवल अभि. सा. 5 के माध्यम से मिली थी । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) के रूप में चिकित्सीय साक्ष्य से हालांकि अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है, किंतु डाक्टर द्वारा विसरा को परिरक्षित न रखने की बात अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक हो जाती है । यह उल्लेख करना उपयोगी है कि अभि. सा. 5 ने अपने साक्ष्य में कहीं भी मृतक की गर्दन पर बांधने का चिह्न देखने के बारे में उल्लेख नहीं किया है और न ही पंचनामा के दौरान उसने मृत्यु के कारण की बात उठाई थी । वास्तविकता यह है कि कतिपय पहलुओं पर विचारण न्यायालय ने भी अभि. सा. 5 के वृत्तांत को अविश्वसनीय पाया है । हमारी

राय में, अभियोजन पक्ष घटनाओं की उस शृंखला को सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रहा है जो अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हो और निचले न्यायालयों ने विधि के स्थिर सिद्धांतों के अनुसार मामले पर विचार करने में गंभीर गलती की है ।

18. न्यायालय का सर्वोपरि ध्यान अवश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि न्याय की हानि न हो । दांडिक न्याय प्रशासन में सर्वाधिक प्रचलित धारणा यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हैं, जिनमें से एक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करता हो और दूसरा अभियुक्त की निर्दोषिता को, तो वह मत जो अभियुक्त के समर्थन में है उसे ही प्रसामान्यतः अपनाया जाना चाहिए । क्योंकि हमने प्रस्तुत मामले में पहले ही यह मत व्यक्त किया है कि इस बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि मृतक ने विष खाया था या उसकी गला घोंट कर मृत्यु कारित की गई थी । मृतक के संपूर्ण शरीर पर छालों की मौजूदगी और उसके नाखून नीले हो जाना, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार मृतक के शरीर पर अंगुलियों के कोई चिह्न न होना, पंचनामा के समय अभि. सा. 5 का मौजूद रहना और कोई आक्षेप न करना, डा. हीरा लाल की परीक्षा न करना, अधिकांश अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए संपुष्टिकारी कथनों के साथ-साथ अन्वेषक अधिकारी का कथन, जिसको डा. हीरा लाल ने यह बताया था कि मृतक ने विष खाया है, सभी परिस्थितियां अभियुक्त के इस पक्षकथन को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य का गठन करती हैं कि मृतक ने आत्महत्या की थी । इसलिए हम यह मत व्यक्त करते हैं कि निचले न्यायालयों को अपीलार्थी को संदेह का फायदा देने के लिए प्रेरित होना चाहिए था, क्योंकि इस मामले के विलक्षण तथ्यों में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है ।

19. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, यह अपील सफल होती है । अपीलार्थी को, यदि उसकी किसी अन्य मामले में अभिरक्षा अपेक्षित नहीं है, तुरंत अभिरक्षा से रिहा कर दिया जाए ।

20. तद्नुसार यह अपील मंजूर की जाती है । लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, का भी निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.